आभासी मुद्रा के लिए आगे की राह

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

05 मार्च, 2020

"सुप्रीम कोर्ट ने आभासी मुद्रा (Virtual Currency) धारकों से लेन-देन करने वाले बैंकों पर RBI के प्रतिबंध को निरस्त कर दिया है। ये मुद्राएँ कैसे काम करती हैं, आरबीआई की चिंताओं पर अदालत ने कैसे अपना फैसला सुनाया और प्रतिबंध हटने के बाद क्या होगा?"

बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने आभासी मुद्रा धारकों और एक्सचेंजों से लेन-देन करने वाले बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों पर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लगाई गयी रोक हटा दी है।

अदालत ने माना कि प्रतिबंध "आनुपातिकता" के परीक्षण में सफल नहीं हो सका था। अदालत सरकार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की आनुपातिकता का परीक्षण, अनुच्छेद 19 (1) (G) की कसौटी पर करता है, जिसमें कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों को किसी भी पेशे को धारण करने या किसी व्यवसाय या व्यापार को करने का अधिकार होगा।

2018 में एक परिपत्र में, RBI ने बैंकों को इस आधार पर आभासी मुद्रा विनिमय और व्यक्तिगत धारकों से लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि इन मुद्राओं का कोई अंतर्निहित उपचार नहीं था और बैंकों को इनसे संबंधित कोई भी सेवा प्रदान करने से रोकने के लिए बड़े सार्वजनिक हित में यह आवश्यक था।

आभासी मुद्राएँ क्या हैं? क्या ये क्रिप्टोकरेंसी से अलग हैं?

आभासी मुद्रा क्या है, इसकी कोई वैश्विक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। कुछ एजेंसियों ने इसे मूल्य के आदान-प्रदान की एक विधि कहा है, कुछ लोगों ने इसे एक वस्तु, उत्पाद या वस्तु के रूप में चिह्नित किया है। बुधवार को अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हर अदालत जिसने आभासी मुद्राओं की पहचान को ठीक करने का प्रयास किया है, उसने जैन धर्म के

क्रिप्टोकरेंसी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी।
- अब भारत में वर्चुअल करेंसी का कारोबार किया जा सकेगा।
- विश्वभर में सबसे महंगी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की कीमत 0.39 प्रतिशत गिरावट के साथ 8,815 डॉलर के आस-पास रिकॉर्ड की गई।
- रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार को गैर-कानूनी बताने वाले फैसले पर रोक लगा दी गई है।
- इस फैसले से देश भर में बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार और उपयोग पर लगा प्रतिबंध खत्म हो गया है। इसका लेन-देन अब देश के सभी बैंक शुरू कर सकते हैं।

क्या है?

- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है। यह करेंसी कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित है। इसका उपयोग शॉपिंग या कोई सर्विस खरीदने हेतु किया जा सकता है।
- यह मुद्रा भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होती, यह केवल आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) है।
- इसमें कूटलेखन तकनीक का प्रयोग होता है। इस तकनीक के जरिए करेंसी के लेन-देन का पूरा लेखा-जोखा होता है।
- इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजेक्शन का पूरा लेखा-जोखा होता है, जिसे हैक करना बहुत ही मुश्किल है।
- इसलिए क्रिप्टोकरेंसी में धोखाधड़ी की आशंका बहुत कम होती है। क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसका परिचालन केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र होता है।
- यह स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टोकरेंसी थी।

अनेकांतवाद दर्शन में केवल 4 अंधे पुरुषों के रूप में काम किया, जो एक हाथी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में केवल हाथी के केवल एक भौतिक विशेषता के बारे में ही वर्णन कर पाते हैं।"

सातोशी नाकामोटो को व्यापक रूप से आधुनिक आभासी मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक के रूप में माना जाता है और अंतर्निहित तकनीक जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, बिटकॉइन को "एक नई इलेक्ट्रॉनिक नकदी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जो पूरी तरह से पीयर टू पीयर लेंडिंग है, जिसमें कोई विश्वसनीय तृतीय पक्ष नहीं है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह था कि आभासी मुद्राओं के लिए कोई केंद्रीय नियामक नहीं होगा, क्योंकि उन्हें वैश्विक रूप से दृश्यमान खाता में रखा जाता है, जो प्रौद्योगिकी के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ है। इस तरह की आभासी मुद्राओं के सभी उपयोगकर्ता लेन-देन पर नजर बनाये रख सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार जुलाई 2019 में संसद में विधेयक लाई थी, जिसमें तय हुआ था कि क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन को रखने, बेचने या खरीदने पर 10 साल की जेल हो सकती है।
- इसे पूरी तरह से अवैध बनाने के अतिरिक्त विधेयक में क्रिप्टोकरेंसी रखने को गैर-जमानती अपराध बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-फरोख्त पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है।
- यह आदेश न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया और इसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय भी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी खरीद और बेच सकेंगे।

वर्चुअल करेंसी नॉन-फिएट करेंसी के सभी रूपों के ऑनलाइन कारोबार के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म है। आभासी मुद्राएँ ज्यादातर स्थानीय आभासी नेटवर्क में निर्मित, वितरित और स्वीकार की जाती हैं। दूसरी ओर क्रिप्टोकरेंसी, एन्क्रिप्शन एल्गोरिद्म के रूप में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। क्रिप्टोग्राफिक विधियों का उपयोग मुद्रा के साथ-साथ उस नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है जिस पर उनका व्यापार सुरक्षित रूप से किया जा रहा है। अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी अब ब्लॉकचेन या वितरित लेजर तकनीक पर काम करती हैं, जो सभी को विश्व स्तर पर होने वाले लेनदेन का ट्रैक रखने की अनुमति देती है।

क्या क्रिप्टोकरेंसी खतरनाक हैं?

दुनिया भर के संगठनों ने आभासी मुद्राओं से निपटने के दौरान सावधानी बरतने का आह्वान किया है, साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि किसी भी तरह का पूर्ण प्रतिबंध पूरे सिस्टम को भूमिगत कर सकता है, जिसका अर्थ है कि कोई विनियमन नहीं होगा।

जून 2013 में, RBI ने पहली बार आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावित वित्तीय, परिचालन, कानूनी और ग्राहक सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी। अगले वर्ष, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें आभासी मुद्राओं से जुड़े वैध उपयोग और संभावित जोखिम दोनों पर प्रकाश डाला गया। एक अलग रिपोर्ट में, इसने फिर कहा कि इस तरह की आभासी मुद्राओं का उपयोग आतंकी वित्तपोषण समूहों के बीच बढ़ रहा है।

RBI ने आभासी मुद्राओं पर प्रतिबंध क्यों लगाया?

किसी भी आधारभूत फिएट की कमी के कारण, उनके मूल्य में अत्यधिक अस्थिरता के कारण और इनकी अनाम प्रकृति जो वैश्विक धन-शोधन नियमों के खिलाफ जाती है, आरबीआई ने इन मुद्राओं के व्यापार और उपयोग पर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया था। एक ओर डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जोखिम तथा चिंताएँ और दूसरी ओर स्वयं मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर दूरगामी संभावित प्रभाव आरबीआई को आभासी मुद्राओं के बारे में चिंतित कर रहा था।

उच्चतम न्यायालय में अपनी दलील में, RBI ने कहा कि वह नहीं चाहता था कि ये आभासी मुद्राएँ किसी बीमारी की तरह फैलें और इसलिए उसने बड़े जनहित में, बैंकों से कहा कि वे इन गैर-फिएट मुद्राओं में काम करने वाले लोगों या एक्सचेंजों से व्यवसाय न करें। आरबीआई ने तर्क दिया कि "कई आभासी मुद्राओं के मूल्यांकन में महत्त्वपूर्ण उछाल और प्रारंभिक कॉइन प्रस्ताव में तेजी से वृद्धि" के कारण, आभासी मुद्राएँ उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं थीं।

याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने देश में आभासी मुद्रा एक्सचेंजों को चालू किया है, ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरबीआई की कार्रवाई इसके दायरे से बाहर थी क्योंकि गैर-फिएट मुद्रा इस तरह की मुद्रा नहीं थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कार्रवाई बहुत कठोर थी और आरबीआई या केंद्र सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया था। यह तर्क देते हुए कि प्रतिबंध केवल "नैतिक आधार" पर था, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरबीआई को वेट एंड वाच (wait-and-watch) दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जैसा कि अन्य नियामकों जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपनाया है।

क्या है फिएट और नॉन-फिएट क्रिप्टोकरेंसी?

- एक 'नॉन-फिएट' क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटकॉइन, एक निजी क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि 'फिएट क्रिप्टोकरेंसी' एक डिज़िटल मुद्रा है जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
- नॉन-फिएट क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ सरकारें भी समय-समय पर एडवाइजरी जारी करती रहती हैं।
- यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई आभासी मुद्रा जारी की जाती है, तो उसे फिएट क्रिप्टोकरेंसी कहा जाएगा।
- नॉन-फिएट क्रिप्टोकरेंसी को लेकर तमाम तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं और यह तकनीकी उन्नयन विनाशकारी साबित हो सकता है।
- सभी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन नहीं हैं, जबकि सभी बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी हैं। बिटकॉइन, एथ्रॉम और रिप्पल कुछ लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

बुधवार को अपने 180-पृष्ठ के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई का निर्देश आनुपातिकता की जाँच के लिए पाँच-आयामी परीक्षण पर पास नहीं हो सका है, जिसमें मौलिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव, बड़े जनहित को सुनिश्चित करने की माँग, नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता, निषिद्ध अधिनियम की निहित प्रकृति, कम कठोर प्रतिबंध लगाकर उसी उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना शामिल थी।

हालाँकि, अदालत याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए किसी भी अन्य प्रस्तुतीकरण से सहमत नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वितरित लेजर प्रौद्योगिकी या ब्लॉकचेन की स्वीकृति और आरबीआई द्वारा सरकार के साथ-साथ आभासी मुद्राओं की अस्वीकृति एक "विरोधाभास" है।

अदालत ने कहा कि घरेलू एजेंसियों के अलावा, अन्य देशों द्वारा अपनाए गए "हल्के" दृष्टिकोण को नहीं अपनाने के लिए आरबीआई को दोष नहीं दिया जा सकता है, साथ ही उसने यह भी कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या सिंगापुर जैसे अन्य देशों के साथ अपनी तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वे विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इसलिए, हम (अदालत) अन्य देशों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर RBI द्वारा उठाये गये कदमों के औचित्य का परीक्षण नहीं करेंगे।

अब क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरबीआई को आभासी मुद्राओं के आसपास की नीतियों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। सीरिल अमरचंद मंगलदास (Cyril Amarchand Mangaldas) के पार्टनर एल. विश्वनाथन ने कहा कि उम्मीद है कि आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी के लिए अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करेगा और इन तकनीकी प्रगति की वास्तविकता से संबंधित एक नया, कैलिब्रेटेड फ्रेमवर्क या विनियमन के साथ आएगा। खेतान एंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक ए. रस्तोगी ने कहा कि इस निर्णय से उन निवेशकों को मदद मिलेगी जिन्होंने बैंकिंग चैनलों के लिए वैध धन का इस्तेमाल किया था।

अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि यद्यपि RBI के निषेध के कारण सही हो सकते हैं, लेकिन यह कभी भी सफल नहीं होने वाला था, क्योंकि परिचालन अनुमानित रूप से भूमिगत हो गया था। TechLegis के संस्थापक, सलमान वारिस ने कहा कि फैसला विनियमित करने के लिए RBI की शक्ति की अवहेलना किए बिना ही नियामक कार्रवाइयों की मनमानी को दूर करता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने RBI द्वारा बिटक्वाइन पर लगे प्रतिबंध को निरस्त कर दिया है। बिटक्वाइन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बिटक्वाइन का एक केंद्रीय नियामक होता है जो इसे नियंत्रित करता है।
2. बिटक्वाइन का लेन-देन पीयर टू पीयर होता है।
3. बिटक्वाइन ब्लॉकचेन पद्धति पर आधारित एक आभासी मुद्रा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Recently, the Supreme Court has repealed the ban on Bitcoin by RBI. Consider the following statements in context of Bitcoin:

1. Bitcoin has a central regulator that regulates it.
2. Transactions of Bitcoin are peer to peer.
3. Bitcoin is a virtual currency based on the blockchain technology.

Which of the above statements is / are correct?

(a) 1 and 2 (b) Only 2

(c) 1 and 3 (d) 2 and 3

नोट : 04 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "क्रिप्टो करेंसी वर्तमान डिजिटल विश्व की करेंसी बन कर उभरी है ऐसे में भारत इसके परिचालन से खुद को अलग नहीं कर सकता।" सर्वोच्च न्यायालय का क्रिप्टो करेंसी पर दिया गया हालिया निर्णय किस प्रकार से भारतीय मौद्रिक विनियमन प्रणाली में परिवर्तन ला सकता है? प्रश्न में दिए गए कथन के संदर्भ में, चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

"Crypto currency has emerged as the currency of the current digital world, in which India cannot separate itself from its operations." How the Supreme Court's recent decision on crypto currency can change the Indian monetary regulation system? Discuss in reference to the statement given in the question. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।